कार्यालय जिला परिषद
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जालोर

क्रमांकः–जिपजा/एमजी नरेगा/लेखा/2017–18/ दिनांकः–

प्रेषित :–

1. आई.एस. भण्डारी एण्ड कम्पनी, सी.ए. शिवाजी नगर, जालोर।
2. एम. पाराशर एण्ड कम्पनी, सी.ए. न्यू बस स्टेण्ड रोड, जालोर।
3. जी.सी जैन एण्ड कम्पनी, सी.ए. शिवाजी नगर जालोर।
4. जुगराज चौधरी एण्ड कम्पनी, राजेन्द्र नगर जालोर।
5. कमलेश सोलंकी एण्ड कम्पनी, सी.ए. औधोगिक क्षेत्र थर्ड फेस जालोर।
6. एम.जी. सोलंकी एण्ड कं.,सी.ए. शिवाजी नगर कॉलोनी, जालोर।
7. एस.एन शर्मा एसोसियेट, सी.ए. 16 B IInd कमला नेहरु नगर जोधपुर।
8. गोपीचंद जांगिड चार्टेड् एकाण्टेट 316 राजदान मैन्शन, जोधपुर।
9. विकास शाह एण्ड एसोसिएट, पुराने सरकारी अस्पताल के सामने, नागौर।
10. सुरेश पारिक एण्ड एसोसिएट, हाथी चौक, नागौर।
11. लोकेश खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी गंगा पथ , गुजर की ढाणी जयपुर।

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के लेखे वर्ष 2016–17 की ऑडिट वास्ते सहमति बाबत्।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के जालोर जिले के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों की सनदी लेखाकार ऑडिट हेतु निम्नाकित शर्तो के अध्यधीन योग्य एवं इस कार्य हेतु सक्षम सनदी लेखाकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं–

1. सनदी लेखाकार के पास दिनांक 15.7.2017 तक योजना के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूरा करने की क्षमता हो।
2. ऐसे सनदी लेखाकारों की नियुक्ति नहीं की जायेगी जिनके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का विगत दो वर्ष का लगातार अंकेक्षण किया गया है।
3. नियुक्त किये जाने वाले सनदी लेखाकारों को ऑडिट हेतु देय अधिकतम परिश्रमिक राशि रूपये 15000/– होगी।
4. नियुक्त किये जाने वाले सनदी लेखाकार को जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महानरेगा के मध्य एक अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं उसे अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

   - वह सनदी लेखाकार महात्मागांधी नरेगा योजना के दिशा निर्देशों से भलीभांति परिचित है।
   - राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि समय पर रिलीज की गई है।
   - अंकेक्षण की अवधि के लिये बैंक खातों का मिलान हो गया है।
   - स्थायी सम्पतियों/संसाधनों की पंजिका आदिनांक संधारित है।
   - व्यय में अग्रिम राशियों को समाविष्ठ नहीं किया गया हैं और एक वर्ष से अधिक पुराने अग्रिमों को पृथक से दर्शाया गया है।
   - वर्ष के अन्त में प्रदर्शित अग्रिम राशियों का पूरा विवरण संलग्न है।
   - डाक विभाग एवं सहकारी बैकों के यहां उपलब्ध राशि का सत्यापन कर लिया गया है।
   - जिले में वर्ष 2015–16 एवं इसके पूर्व के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि रु. 130.81 लाख का सत्यापन कर लिया गया है।

उपर्युक्त शर्तो एवं विवरण से सहमत सनदी लेखाकार अंकेक्षण के लिये अपनी सहमति के प्रस्ताव जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाधी नरेगा को सम्बोधित करते हुए दिनांक **25.05.2017 तक इस** कार्यालय को प्रेषित करें।

प्राप्त प्रस्तावों का जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाधी नरेगा के स्तर पर परीक्षण किया जाकर सनदी लेखाकार के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जायेगे।

संलग्न :- प्रपत्र "अ"

sd-

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जालोर

क्रमांकः-जिपजा/एमजी नरेगा/लेखा/2017-18/1880-84

दिनांकः- 18-5-17

प्रतिलिपिः-

1. वित्तीय सलाहकार ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निज़ी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।
3. ज़िला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जालोर।
4. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग जालोर को वेबसाईट www.jalore.rajasthan.gov.in पर उक्त सूचना प्रकाशित करने हेतु।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जालोर

प्रपत्र–'अ'

1. सनदी लेखाकार फर्म का नाम –
2. सनदी लेखाकार का नाम –
3. सदस्यता नं. –
4. सनदी लेखाकार फर्म का पता –
5. मोबाईल नं. –
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम – श्री हरिराम मीनाRAS
7. फर्म द्वारा विगत वर्षो के अंकेक्षण का अनुभव

वर्ष	संस्था का नाम

8. फर्म के पास उपलब्ध आर्टिकल्स की संख्या –
9. क्या फर्म अंकेक्षण कार्य के लिए सहमत हैं ? –
10. क्या फर्म ने जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जालोर के "पत्र क्रमांक.................. दिनांक.............का पूर्ण अध्ययन कर लिया हैं व उनके तहत कार्य करने हेतु सहमत हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सनदी लेखाकार

पता